शीर्षकः–''छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 का निर्धन परिवारों पर प्रभाव का विश्लेषणात्मक अध्ययन ''

(बालोद जिला के संदर्भ में)

प्रस्तावना :–

खाद्य सुरक्षा से अभिप्राय है भोजन की उपलब्धता एवं उसकी मात्रा से है| एक परिवार के लिए खाद्य सुरक्षा का अभिप्राय है कि उसके परिवार में कोई भुखा न हो और उसके लिए अकाल का डर न रहें। खाद्य सुरक्षा की माप उसके भविष्य की बाधाएं या बाढ़, अकाल या अन्य प्राकृतिक आपदाओं, आर्थिक अस्थिरता के समय भोजन की उपलब्धता प्राप्त करने से हैं। पहले खाद्य सुरक्षा से आशय भरपेंट भोजन से समझा जाता था। किन्तु आज खाद्य सुरक्षा से अशय भौतिक, आर्थिक और सामाजिक स्थितियों की पहुंच के अलावा संतुलित आहार, साफ पीने का पानी, स्वच्छ वातावरण एव प्राथमिक स्वास्थ्य रखरखाव तक जा पहुचां हैं।

खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता :–

भारत की स्थिति में गौर करें तो यहां कई तरह की चुनौतियाँ सिर उठाती है जैसे–कुपोषण और भुखमरी एक ऐसी समस्या है। जिसे खत्म किए बिना देश व समाज का पूर्ण विकास नहीं हो सकता हैं । भारत में कुपोषण को जो दायरा रहा है| वह अन्य विकासशील देशों की अपेक्षा कई गुना अधिक हैं। भारत में करीब 47 फीसदी बच्चें कुपोषण के शिकार हैं। हर साल हजारों बच्चों की मौत कुपोषण के कारण हो जाती हैं।

देश में भूखमरी का आकड़ा बढ़ता जा रहा हैं। ''अंतर्राष्ट्रीय खाद्य संस्थान'' द्वारा जारी ग्लोबल हंगर इंडैक्स 2010 ने विकास की ऊंची छलांगों पर प्रश्नचिन्ह लगा दिया। इंडैक्स के आधार पर विश्व के 84 देशों में 67 वाँ स्थान दर्ज किया गया हैं। देश में भूखमरी, अल्प पोषण व कुपोषण की भयावह तस्वीर उजागर करता हैं। देश में 50 प्रतिशत शिशुओं की मौत के लिए कुपोषण जिम्मेदार है, जो कि भूखमरी के ताण्डव का सूचक है। हकीकत यह है कि देश में प्रतिवर्ष 25 लाख बच्चें मौत के मुहँ में समा जाते हैं अर्थात विश्व के पांच बालको की मौत में एक बच्चा भारत का हैं। भारत में दुनिया की 27 फीसदी कुपोषित आबादी रहती है।

संविधान में प्रावधान :–

भारतीय संविधान की धारा 47 में यह प्रावधान है कि सरकार लोगों का जीवन स्तर ऊँचा उठाने, आहारों की पौष्टिकता में वृद्धि करने तथा प्राथमिक स्वास्थ्य में सुधार लाने जैसे कार्यो को प्राथमिकता के आधार पर करेगी एवं खाद्य सुरक्षा में पौष्टिक व कैलोरी युक्त खाद्यान्नों की आपूर्ति स्थानीय स्तर पर उपलब्ध करायेगी।

छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनयम 2012 :–

छत्तीसगढ़ सरकार ने 21 दिसम्बर 2012 को खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 को लागू किया । जिससे 50 लाख परिवार यानी आबादी के 90 प्रतिशत हिस्से को फायदा होगा। इसमें 42 लाख गरीब और आठ लाख सामान्य परिवार शामिल है। केवल आर्थिक रूप से सशक्त और आयकरदाता लगभग 6 लाख परिवार इस कानून के दायरे से बाहर रखे गये हैं। इस प्रकार छत्तीसगढ़ ने देश में पहला खाद्य सुरक्षा कानून बनाकर एक नया इतिहास रचा हैं।

प्रदेश में खाद्य सुरक्षा कानून में अंत्योदय परिवारों और गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को प्राथमिकता वाले गरीब मानकर लगभग 42 लाख परिवार को मात्र एक रूपए एंव दो रूपए किलों में हर महीने 35 किलों चावल, दो किलों निःशुल्क नमक अनुसूचित क्षेत्रों में हर महीनें पांच रूपए किलो में दो किलो चना और गैर अनुसूचित क्षेत्रों में दस रूपए किलो में दो किलो दाल देने की व्यवस्था की गई हैं इसके अलावा गरीबी रेखा से ऊपर के लगभग आठ लाख परिवारों को भी प्रति राशन कार्ड 15 किलो अनाज 9.50 रू में चांवल या 7.50 की दर से 15 किलो गेंहूँ मिल सकता हैं।

छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा कानून में राज्य के छात्रवासों एवं आश्रम शालाओं के विद्यार्थियों को रियायती दर पर अनाज उपलब्ध कराने का प्रावधान हैं।

खाद्य सुरक्षा अधिनयिम के लिए लगभग 2000 करोड़ का प्रावधान है पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए चना एवं दाल वितरण योजना में 289 करोड़ रूपये खर्च करेगी।

किसानों के लिए सरकार ने प्रति क्विंटल धान पर 270 रूपये बोनस देगी। इसके लिए 1750 करोड़ रूपए का प्रावधान है। खेतिहर मजूदरों को निःशुल्क कृषि उपकरण किट दिया जाएगा। जैविक खेती प्रोत्साहन के लिए 3 करोड़ रूपए।

जनता को कम से कम दो वक्त भरपेट भोजन की गांरटी दिए बिना विकास की बड़ी–बड़ी बाते करना निरर्थक हैं। इसलिए विकास को सार्थक बनाना है तो जनता को खाद्य सुरक्षा के रूप में यह कानूनी गांरटी मिलनी चाहिए। जनता को भूख और कुपोषण से मुक्ति दिलाकर संयुक्त राष्ट्र के सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य को प्राप्त करना छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा कानून का प्रमुख उद्देश्य हैं।

नोबल पुरस्कार से सम्मानित भारतीय मूल के अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने छत्तीसगढ़ के खाद्य सुरक्षा मॉडल की प्रशंसा की हैं।

सर्वोच्च न्यायालय और विश्व बैंक ने भी केन्द्र सरकार को देश के अन्य राज्यों में इसे एक मॉडल के रूप में अपनाने की सलाह दी है। छत्तीसगढ सरकार ने केन्द्र सरकार से इस अधिनियम को देश मे लागू करने हेतु अनुरोध किया है।

चुनौतियाँ :–

खाद्य सुरक्षा जनता तक पहुचाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। प्राथमिकता वाले परिवारों की पहचान में सावधानी बरतनी होगी। इसका पूरा दारोमदार सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर है।

उचित भंडार न होने के कारण भारत में हर साल हजारों टन अनाज बर्बाद हो जाता हैं। आज भी लाखों मैट्रिक टन अनाज खुले में पड़ा है। देश में 415 लाख टन अनाज केवल पन्नियों में ढ़का रहता है।

अनाज का एक–एक दाना महत्वपूर्ण है। खाद्य सुरक्षा के लिए हर दाने की महत्ता समझने की जरूरत हैं।

उपसंहार :–

कार्यशक्ति की अपर्याप्तता के कारण गरीब वर्ग ही खाद्य असुरक्षा के सार्वधिक शिकार है। अतः गरीबी उन्मुलन एवं बेरोजगारी निवारण योजनओं का क्रियान्वयन प्रभावी व ईमानदारीपूर्वक करना होगा। इन योजनाओं को परिणामोन्मुखी एवं प्रभावशाली बनाने के लिए कठोर कदम उठाए जाए। जिससे खाद्य सुरक्षा के यथार्थ लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।

देश में गरीबी का वास्तविक अनुमान लगाने के लिए कैलोरी आधारित पुरानी पद्धति के स्थान पर आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत आवश्यकताओं को भी गरीबी के पैमाने में शामिल करना चाहिए । जिससे गरीबी की वास्तविक स्थिति पता चल सकेगी तथा सही मायनों में खाद्य सुरक्षा प्राप्त करना संभव हो सकेगी।

शोध साहित्यों का पुनरीक्षण :–

किसी भी शोध को प्रारभ करने से पूर्व संबंधित साहित्यों का अध्ययन महत्वपूर्ण व उपयोगी होता हैं क्योंकि इससे न केवल विषय को समझने में मदद मिलती हैं बल्कि उस विषय पर हुए शोध से जानकारी भी प्राप्त होती हैं। जिससे किया जाने वाला शोध कार्य सुविधापूर्वक संपन्न किया जा सके।

1. **आहलूवालिया डी (1993) :–** इसका विचार यह है कि उत्तम गुण्वत्ता के चाँवल गेहूं की पूर्ति पीडीएस के माध्यम से अमीरो एवं जो गरीब नहीं है,उनको आकर्षित करने के लिए करना चाहिए , उनका सुझाव था कि सब्सिडी दर पर निम्न स्तर के चाँवल, गेंहूँ की आपूर्ति गरीबों एवं जरूरतमंदो को उपलब्ध कराना चाहिए।

2. **अनन्दा डी (2012) :–** सार्वजनिक वितरण प्रणाली जब तक प्रभावषाली नहीं होगी तब तक खाद्य सुरक्षा पहुंचाना संभव नहीं हैं। खाद्य सुरक्षा की प्रत्येक नीति से गरीबी कम करने में मदद मिलेगी। खाद्य सुरक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए गरीबी निवारण कार्यक्रम को सुक्ष्मता से ध्यान देने की जरूरत है। इसके लिए अधिक कारगर नीति बनाकर मैदान में विष्सनीय ढ़ंग से क्रियान्वयन की जरूरत है।

3. **अरूण ए.के. (2012) :–** उल्लेखनीय है कि वर्ष 2007 के बाद से खाद्य मूल्यों में 40 ये 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई हैं । और भूख से पीड़ित लोगों की संख्या भी बड़ी हैं। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार इन दिनों दुनिया के 37 से ज्यादा देश अंतराष्ट्रीय खाद्य सहायता पर निर्भर हैं । खाद्यान उत्पादन में आ रही कमी एवं बढ़ते मूल्य से खाद्य संकट और गहरा गई है। बर्बाद हो रहे खाद्यान्न को कम करके तथा उसे जरूरतमंदो तक पहुंचाया सके, जो भूख और कुपोषण से पीड़ित हैं । विकासशील देशों में खाद्यान्न की बर्बादी भंडारण की अपर्याप्त सुविधाओं के अभाव के कारण है।

4. **बैनर्जी नंदू (2013) :–**जहाँ तक खाद्य सुरक्षा का सवाल है तो इसमें कोई शक नहीं कि देश को वस्तुतः इसकी जरूरत है। देश में अंत्योदय अन्न योजना पहले से लागू है। जिसके तहत लगभग 2.43 करोड़ निर्धनतम परिवारों को प्रतिमाह 35 कि.ग्रा. खाद्यान्न प्रदान किया जाता हैं। इसके लिए बुनियादी ढ़ांचे जैस– भंडारण, परिवरहन, कर्मचारियों की नियुक्त आदि पर भी ध्यान देना होगा। खाद्य सुरक्षाा कार्यक्रम के सुचारू संचालन के लिए मौजूदा सार्वजनिक वितरण प्रणाली में भी आमूलचूक बदलाव की जरूरत होगी। खाद्य सुरक्षा की कामयाबी के लिए सरकार को व्यापक पैमाने पर खाद्यान्न अधिग्रहण की प्रणाली सुनिश्चित करनी होगी। और वितरण प्रणाली को चाक चौबंद करना होगा।

5. **भास्कर सुरेन्द्र (2013) :–**आधार विशिष्ट पहचान संख्या के इस्तेमाल से देश के कुछ चुने हुए जिलों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना शुरू की गई। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस के तहत अनाज, खाद्य, केरोसीन, रसोई गैस पीडीएस और खेती करने के सामान सब्सिडी पर मुहैया कराती हैं। अब नयी व्यवस्था लागू होने के बाद गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे परिवारों को सब्सिडी पर समान देने के बजाय अब हर साल सीधे उन परिवारों के बैंक खाते में 30 से 40 हजार रूपये डाल दिये जाएंगे। यह योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत दी जा रहीं है। मौजुदा खाद्यान्न और ईंधन सब्सिडी की लागत और सक्षमता में उल्लेखनीय सुधार ला सकती हैं। यह एक डिलीवरी प्रणाली है जिसमें सुधार की जरूरत बनी रहती हैं। पूरी प्रणाली दूरस्त रहीं और योजनाओं को इससे जोड़ा गया तो हजारों–करोड़ो रूपये की बचत होगी तथा भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा। बेहतर होगा यदि खाद्य सुरक्षा बिल को भी इस योजना के साथ लागू किया जाए।

6. **भगवती व श्रीनिवास (1993) :–**

उनका सुझाव था कि परिवार खुले बाजार से खाद्य पदार्थ खरीदने में समर्थ होना चाहिए । जो समूह खरीद पाने मे असमर्थ हैं। उन्हे

खाद्य पदार्थ निश्चित ही कम कीमत पर कुछ वस्तुएँ उपलब्ध करानी चाहिए ।

7. **चन्द्रभान (2012) :–** अनाज का एक–एक दाना मत्वपूर्ण है। खाद्य सुरक्षा के लिए हर दाने की महत्ता समझने की जरूरत है। ज्यादा उत्पादन पर ध्यान देने की जरूरत है । जब तक उत्पादन अधिक नहीं होगा, तब तक खाद्य संकट बना रहेंगा। खाद्यान्न संकट से उबरने में किसान अपनी विशेष भूमिका निभा रहें हैं। खेतो से अधिक से अधिक आनाज खलिहान तक पहुंचाना होगा।

8. **गवरे राजेश बिमरों (2010) :–** इन्होनें अपने अध्ययन परिदृश्य में जनसंख्या पर खाद्य सुरक्षा सोलापुर जिले का किया। उन्होनें अपने कार्यों से खोज निकाला कि खाद्य उत्पादन, पूर्ति और मांग में और जनसंख्या में एक संबंध हैं। वहां दोंनों चरों में बड़ा अंतर हैं इसके लिए खाद्य उत्पादन एवं खाद्य उपलब्धता उत्तरदायी हैं।

9. **हिमांशु एवं सेन अभिजीत (2013) :–**जिन राज्यों में अपनी सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सर्वव्यापी बना लिया, उन्होनें इसकी त्रुटियों को काफी हद तक सफलतापूर्वक हल कर लिया। खाद्य वस्तुओं की कीमत में कमी करके सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस की अनियमिताओं से निपटा जा सकता हैं आखिरकार जीपीएस और एसएमएस जैसी मूलभूत तकनीकों को अपनाने से भी पीडीएस की कार्य पद्धति से विकृतियां समाप्त करने के लिए नए विचारों और मजबूत राजनीतिक शक्ति की जरूरत होगी ।

10. **डॉ. नवीन कोचरे व झारिया मणिकांत (2013) :–**खाद्य सुरक्षा न केवल उत्पादन पर निर्भर करती है बल्कि उन नीतियों और संस्थओं पर भी निर्भर करती है जो उत्पादन को समान उपलब्धता, सुलभता और आबादी द्वारा उपयोग में बदल देता है। खाद्य सुरक्षा उत्पादन बढ़ाकर और सभी नीतियों के सम्मिश्रण से ही आ सकती हैं।

11. **लेखराज (2000) :–** ''दुर्ग जिले में कृषि एवं पोषण : एक भगौलिक अध्ययन'' – जिल के आहार प्रतिरूप लोगों के द्वारा उत्पन्न फसल, प्राचीन परम्पराओं, रीतिरिवाजों एवं अंधविश्वासों पर आधारित है पर्याप्त खाद्यान्न उत्पादक परिवारों में भी खाद्य पर्याप्ता तभी पायी जाती है जब वे सम्पूर्ण उत्पादन का उचित उपयोग करें। जिले में खाद्यान्न अपर्याप्ता का प्रमुख कारण उत्पादित खद्यान्न का अधिकांश भाग विक्रय करना है बचत की प्रवृति, रितिरिवाज, शिक्षा की कमी एवं गरीबी है यहां वृहद जोत वर्ग परिवारों की अपेक्षा सीमांत एवं भूमिहीन जोत वर्ग के परिवारों में पोषण मात्रा कम हैं। जिले में खाद्यान्न हैं चावल का औसत उपभोग प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 367.60 ग्राम है। जिले में कैलोरी का औसत उपभोग प्रतिव्यस्क प्रतिदिन 1722.8 ग्राम कैलोरी है यह अनुशंसित मात्रा से 677.2 कैलोरी कम हैं ।

12. **प्रो. मोदी के.एम. (2012) :–** वर्तमान में हमारा देश भी खाद्य संकट की भयावह स्थिति से जूझ रहा हैं देश में खाद्यान्नों की मांग व पूर्ति में अंतराल बढ़ता जा रहा हैं। जिसके कारण खाद्यान्न की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही हैं। तेजी से बढ़ती कीमतों के कारण देश की खाद्य व्यावस्था पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। खाद्य सुरक्षा का मुख्य भार किसानों के कंधो पर है ''कृषि'' ही खाद्य अर्थव्यवस्था का मेरूदण्ड है। अतः किसानों के हितों की, प्राथमिकताओं व प्रेरणा बनाये रखना अत्यावष्यक है। देश को भूखमरी के चंगुल से मुक्त करने हेतु खाद्यानों की पूर्ति बढ़ाने के साथ ही खाद्यानों की वितरण व्यवस्था का समुचित प्रबंधन भी नितांत आवश्यक है।

13. **नायर के. थलासीधरण (2008) :–** खाद्य की पहुंच सभी तक एवं पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। खाद्य पूर्ति की स्थिति हमेशा व स्वतः ही खाद्य को गरीबो तक पहुंचने नही देती। अतः गरीबों के लिए खाद्य सुरक्षा के क्रम में सुधार की जरूरत हैं। सरकार को इस पर विश्सनीय ढ़ंग से नीति उपकरण बनाकर इसमें सुधार लानी चाहिए। जिससे गरीबों की खाद्य सुरक्षा स्थिति में सुधार हो सके। इसके लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सभी तक पहुंचाना चाहिए। जिससे इसका उपयोग कर सकें।

14. परीख के.एस. व व्यास व्ही.एस (1994) :– उनका सुझाव था कि मैदान पर कीमत प्रभावकारी पीडीए सब्सिडी के द्वारा, रोजगार निर्माण नियोजन जैसे जवाहर रोजगार योजना, रोजगार गांरटी योजना के आधार पर सब्सिडी मूल्य के कम को निर्धारित करता हैं।

इसके अनुसार डिलीवरी गरीबों के लिए बहुत बड़ी सहायता हैं। स्कीम के माध्यम से डिलीवरी पीडीएस से अधिक फायदेमंद हैं । फूड कम्पाउन्ड के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराना चाहिए । रोजगार निर्माण कार्यक्रमों से गरीबी रेखा के स्तर को ऊंचा उठाने में मदद मिलेगी।

15. पाणि नरेन्द्र (2013) :–गरीबो को सस्ता अनाज मुहैया कराने की प्रणाली के स्थान पर नयी पद्धति नगद–अंतरण के अपनाने पर विषष रूप से सामने आई हैं सार्वजनिक वितरण प्रणली (पीडीएस) से सस्ते सहयता देने के लिए जो तर्क दिया जाता हैं, उसमें व्याप्त भ्रांतियों पर बहुत कम ध्यान दिया गया हैं, जो तर्क किसी एक व्यक्ति के लिए उचित हो सकता है, वह जरूरी नहीं कि समूची प्रणाली पर लागू हो। विशुद्ध रूप से आर्थिक नजरिये से दिखा जाए तो पीडीएस से खाद्यान्न की किसी प्रकार की लेकिन का पता तभी चल सकता है जब उस खुले बाजार में बेचा जाता हैं। बाजार की कीमतो में कमी लाने के लिए अपने खाद्यान्न भंडारों के उपयोग की सरकार की योग्यता (मंशा) अत्यंत सीमित है। उन क्षेत्रों में जहां खाद्यान्न मुद्रास्फीति (महंगाई) राष्ट्रीय औसत से अधिक है, जहां सूचीकरण (इंडैक्सेशन) के कारण अंतरण से वास्तविक अनुदान में कमी की क्षतिपूर्ति नहीं हो पाती हैं। मुद्रास्फीति में नगद अंतरण का जो योगदान होता है, उससे ता सरकार के खाद्य अनुदान देयक में कमी होने के बजाय वृद्धि ही होगी।

16. डॉं. रावत सिंह (2012) :– तेजी से बढती हुई जनसख्याँ बढते खाद्य मूल्य और जलवायु परिवर्तन का खतरा ऐसी चुनौतियां है जिसने युद्ध स्तर पर निपटे जाने की आवशयता है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 25 हजार करोड रूपये के विशेष पैकेज की भी घोषणा की गई है। यदि इस लक्ष्य की पूर्ति हो जाए तो

निश्चित रूप से गरीबी दूर करने में यह एक सार्थक प्रयास होगा।

17. **रावत यशवंत सिंह (2012) :–** जैविक खेती से जहां खाद्यान का भरपूर उत्पादन हो रहा है वही मिट्‌टी की उर्वरा शक्ति भी बच रही है। वायु एंव जल प्रदूषण कम हो रहा है और किसानो को उनके उत्पादन का भरपूर मूल्य भी मिल रहा है । रासायनिक उर्वरक के उपभोग में भारत विश्व में तीसरे स्थान पर है। ऐसे में जैविक खेती अपनाकर किसान जहां उत्पादन बढ़ा सकते है वही देश में आर्थिक सुधार में भी अपना योगदान दे सकते है।

18. **स्टैंडिंग गार्ड (2013) :–**गरीबी दूर हटाने के लिए पैसा जरूरी हैं। इसलिए अनेक लोगों की तरह मैं भी इस बात में विश्वास करता हूँ कि व्यक्ति को भोजन का अधिकार हैं और उसे सुरक्षित सार्वजनिक सामाजिक सेवाएं भी मिलनी चाहिए। इस बात के सही कारण मौजूद हैं कि नगदी हस्तांक्षर से ऐसे लोगों की स्थिति में सुधार आएगा। भोजन के अधिकारी के पैरवीकार चाहते हैं कि सार्वजनिक वितरण व्यवस्था को शाश्वत बना दिया जाए। सब्सिडी देने से बाजार तंत्र की वैधानिकता गड़बङा जाती है। अनाज की स्थानीय पैदावार रूक जाती हैं। और लोग अकुशलता और गरीबी के चंगुल में फंस रहे है।

19. **डॉ. सावन्त अनिता (2013) :–** इन्होने अपने लेख में बताया है कि हमारा विकास चिरस्थयी विकास होना चाहिए । हमारी आर्थिक समृद्धि, कृषि उत्पादन में वृद्धि का मूल उद्‌देश्य होना चाहिए कि उसका लाभ सभी तक पहंचे और सामाजिक रूप से सभी का विकास हो । इसके लिए निर्धनता और कुपोषण जो भोजन के वितरण और उपभोक्ता की कयशक्ति से संबंधित हैं ।

20. **शर्मा रंजना :–** '' बिलासपुर जिले में कृषि एवं पोषण '' इसके अंतर्गत उन्होने खाद्यान्न अंतर्गहित प्रतिरूप एवं पोषक तत्वों के अंतग्रहित प्रतिरूप में स्थानीय खाद्य उत्पादों का वर्चस्व है खाद्यान्न में चावल भोजन का प्रधान स्त्रोत है, तथा पोषक तत्वों के अंतग्रहित प्रतिरूप में चावल का स्थान सर्वोपरि है। प्रति परिवार अंतग्रहित प्रतिरूप पर आय का स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित होता है । चयनित ग्रामों के निम्न आय वर्ग में कैलोरी की उपलब्धता में अल्पता पायी गई, साथ ही समस्त चयनित ग्रामें मे थाइमिन (विटामिन बी1) राइबाफ्लेविन (बी2) तथा कैलशियम

की अल्पता पाई जाती हैं। प्रतिदिन व्यक्तिगत औसत रूप से 2666 कैलोरी अंतर्गृहित की जाती हैं जो अनुमोदित मात्रा 2400 कैलोरी से अधिक है। केवल निम्न आय वर्ग में कैलारी की अल्पता पायी जाती हैं।

21. **सेन अमर्त्य (1995) :–**राज्य के लाभ के लक्ष्य सीमित हो गये है। इसका प्रमुख कारण योजनाओं में होने वाले लीकेज है। खाद्य सब्सिडी की आवश्यकता जनसंख्या के एक छोटे से भाग को हैं। प्राथमिकता के आधार पर उनके कल्याण एवं पोषण उपलब्ध कराने की जरूरत हैं। गलत नीति निर्धारण के कारण ही कीमत ऊंचा है। गरीबों को खाद्य उपलब्धता कम कीमत पर हो और इसका सही ढ़ंग से क्रियान्वयन हो।

22. **यादव साधना (2012) :–**भारत में कुपोषण एवं गरीबी एक बड़ी चुनौती हैं। भारत में गौर करे तो यहां कई तरह की चुनौतियां सिर उठाती रहीं हैं। कुपोषण और भुखमरी एक ऐसी समस्या है। जिसे खत्म किए बगैर देश व समाज का विकास नहीं हो सकता। भारत में अभी तक कुपोषण का जो दायरा रहा है वह विकासशील अन्य देशों से कई गुना अधिक हैं भारत में करीब 47 फीसदी बच्चे कुपोषण के शिकार है। हर साल हजारों बच्चों की मौत की वजह भी कुपोषण ही होता है।

23. **श्रीदेवी जी. (2011) :–**खाद्य सुरक्षा की माप कयशक्ति पर निर्भर करती है। खाद्य की प्राप्ति कीमत, वास्तविक मजदूरी और रोजगार पर निर्भर करता है। खाद्य सुरक्षा की उपलब्धि गरीबी कम करके और रोजगार पैदाकर कर सकते है। सभी क्षेत्रो में विकास से गरीबी कम होगी। बहुत से समष्टी स्तर अध्ययन से नई आर्थिक नीति से खाद्य सुरक्षा पर विपरीत प्रभाव पड़ा हैं। कृषि क्षेत्र में पूंजी निर्माण कम हुआ हैं । उदारीकरण के कारण कृषि उत्पादों की मांग बढ़ी हैं । बहुत से अध्ययनों से ज्ञात हुआ हैं कि पीडीएस के कार्य और गरीबो को पहुंचाने वाली सहयता बहुत ही खराब हैं। भारत कें आर्थिक सुधार का खाद्य सुरक्षा पर प्रभावकारी परिणाम होंगें।

24. **सूर्यनारायण एम.एच. (1995) :–**खाद्य निर्धारित स्थान पर पहुंचाने में पी.डी.एस. सहायता करती हैं। लोगों तक खाद्य पहुचाँना इसके लिए प्रशासनिक बोझ एवं सब्सिडी ये सब पूरा नेटवर्क एफसीआई और उचित मूल्य दुकान देखती हैं।

25. **व्याज विजय शंकर (2013) :–** खाद्य पदार्थों पर दी जाने वाली सब्सिडी को बुनियादी ढ़ाचे को मजबुत करने एवं आर्थिक कार्यक्रमों के क्रियान्वयन से विकास गति तीव्र हो सकती हैं। गरीबों की आय बड़ सकती हैं परिणाम स्वरूप खाद्य सुरक्षा स्वतः ही मिल जायेगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में अधिक पारदर्शिता हो इसके लिए उपयुक्त तकनीकी एवं व्यवस्था संबंधी सुधार करने की आवश्यकता है।

अध्ययन का उद्देष्य –

'' छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 का निर्धन परिवारों पर प्रभाव का विश्लेषणात्मक अध्ययन'' के निम्नलिखित उद्देशों की पूर्ति हो सकेगी।

1. छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 के प्रावधनों का अध्ययन करना
2. छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 के खाद्य उपलब्धता पर पड़ने वाले प्रभावों को अध्ययन करना
3. बालोद जिला के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 का अध्ययन करना।

अध्ययन की परिकल्पना :–

1. खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 का खाद्य उपलब्धता पर सार्थक प्रभाव पड़ेगा।
2. गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों को खाद्य सुरक्षा का सुनिश्चत हो सकेगा।
3. कुपोषण एवं भूखमरी जैसी मानवीय त्रासदीयों को दूर करने मे सहायता मिलेगी।
4. खाद्य के उचित वितरण में सहयोग प्राप्त होगा।

प्रस्तावित अध्ययन की उपादेयता योगदान

छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 का विश्लेषण अध्ययन कर इससे खाद्य सुरक्षा पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करना हैं , क्योंकि आज खाद्य सुरक्षा समय की मांग है। खा़द्य सुरक्षा का अर्थ पेटभर रोटी के संदर्भ से ही नहीं हैं, बल्कि खाद्य सुरक्षा का आशय भौतिक, आर्थिक और सामाजिक स्थितियों की पहुंच के अलावा संतुलित आहार साफ पीने का पानी, स्वच्छ वातावरण एवं प्राथमिक स्वास्थ्य रखरखाव तक जा पहुंचा है। इसके निम्न महत्व हैं :–

1. इससे छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 प्रावधानों की उपयोगिता का पता चल सकेगा।
2. शोध कार्य से इस अधिनियम से खाद्य उपलब्धता पर पड़ने वाले प्रभावों का पता चल सकेगा।
3. छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 के बेहतर क्रियान्वयन में मदद मिलेगी।

अध्ययन की पद्धति :–

प्रस्तुत शोधकार्य प्राथमिक एवं द्वितीयक समंको पर आधारित है। सरकारी विभागों प्राप्त हाने वाले संमक तथा सरकारी माध्यमों एवं पत्र, पत्रिकाओं से प्राप्त होने वाले समंक तथा व्यक्तिगत साक्षात्कार प्रणाली से प्रश्नावली, पूछताछ के माध्यम प्राप्त होने वाले समंक शामिल होंगे।

अध्ययन का क्षेत्र :–

शोधकार्य छत्तीसगढ़ राज्य के बालोद जिला पर ''छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2012 निर्धन परिवारों पर प्रभाव का विशलेषणात्म अध्ययन करना है। बालोद जिला 1 जनवरी 2012 को अस्तित्व में आया। इसका क्षेत्रफल 3608.03 वर्ग किलोमीटर में फैला बालोद जिला की सीमा कांकेर, धमतरी, दुर्ग, राजनांदगावं, जिले से लगी हैं। यहां की कुल जनसंख्या 8,26019 हैं जिसमें 720197 ग्रामीण एवं 105322 शहरी जनसंख्या हैं। 5 जनपद पंचायत , 393 ग्राम पंचायते एवं 5 तहसील हैं। यहां कुल 703 गांव है। आबाद गांव 694 है। दो नगरपलिका, 6 नगर पंचायत कार्यशील हैं। यहां स्थापित कुल 414 उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से 95 हजार बीपीएल (गरीबी रेखा श्रेणी के परिवार) और 68 हजार 217 एपीएल सहित कुल 1,63,979 राशन कार्ड धारियों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से उचित दाम पर खाद्यान्न सामग्री उपलब्ध कराई जा रहीं है।

अध्ययन के प्रत्याषित परिणाम :–

प्रस्तावित शोध कार्य से निम्नलिखित तथ्यों का पता चल सकेगा।

1. छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 से जनता में खाद्य उपलब्धता बढ़ेगी।
2. इससे लाभांवित परिवारों की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति में सुधार होगा।
3. इससे कुपोषण एवं भूखमरी दूर करने में मदद मिलेगी।
4. खाद्य के उचित वितरण में सहयोग होगा।
5. इससे पर्याप्त एवं पौष्टिक भोजन लोगों को प्राप्त होगा।

अध्ययन की रूप रेखा :–

अध्याय प्रथम – परिचयात्क पृष्ठभूमि

1.1 प्रस्तावना
1.2 छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012
1.3 छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 बालोद जिले में
1.4 अध्ययन का उद्देश्य
1.5 अध्ययन की परिकल्पना
1.6 अध्ययन की पद्धति

अध्याय द्वितीय – बालोद जिला का सामान्य परिचय –

2.1 बालोद जिला की भगौलिक स्थिति
2.2 बालोद जिला की सामाजिक स्थिति
2.3 बालोद जिला का आर्थिक स्थिति
2.4 बालोद जिला की राजनीतिक स्थिति
25 बालोद जिला की जनसंख्या संबंधी जानकारी

अध्याय तृतीय – छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 के प्रावधान

3.1 अंत्योदय परिवारों के लिए
3.2 गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए।
3.3 सामान्य परिवारों के लिए
3.4 महिलाओं के लिए

अध्याय चतुर्थ – बालोद जिला में छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 का क्रियान्वयन

4.1 बालोद जिलों में लाभान्वित परिवारों की जानकारी
4.2 इसका लाभान्वित परिवारों पर प्रभाव
4.3 बालोद जिला में सार्वजनिक वितरण प्रणाली
4.4 इसके क्रियान्वयन में आने वाली चुनौतियां।

अध्याय पंचम – छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 का प्रभाव

5.2 इसका निर्धन परिवारों पर प्रभाव

अध्याय सप्तम – शोध का सारांश, निष्कर्ष एवं सुझाव

अध्याय अष्टम – संदर्भ ग्रंथ सूची

परिष्टि

संदर्भ ग्रंथ :–

1. आहलूवालिया डी (1993) :– पब्लिक डिस्ट्रीब्युशन ऑफ इंडिया कवरेज टारगेंटिग लिडेजेस (फूड पॉलेसी 18 फरवरी 1993 पेज नं0 60)

2 अनन्दा डी (2012) :– स्टेट रिस्पॉस टू फूड स्क्यूरटी : अ स्टडी ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्युशन

3 अरूण ए.के. (2012) :–बाजार की गिरफ्त में पोषाहार और स्वस्थ्य (योजना 2012 पेज–19–22)

4 बैनर्जी नंदु (2013) :– गरीबो के पेट पर वाटों की राजनीति (नईदुनिया समाचार पत्र 25 जुलाई 2013 पेज न. 8)

5 भास्कर सुरेन्द्र (2013) :– आधार भूत सुविधाओं का आधार प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (योजना फरवरी 2013 पेज 38–39)

6 भगवती व श्रीनिवास (1993):– ओपी. सीआईटी, पेज 62

7 चन्द्रभान (2012) :– अनाज का एक–एक दाना महत्वपूर्ण (कुरूक्षेत्र मार्च 2012 पेज 8–12)

8 गवकरे राजेश बिमरों (2010):–ज्योग्राफिक परसपेक्टिवस आन पापुलेशन एंड फूड सिस्टम सोलापुर डिस्ट्रीक

9 हिमांशु एवं सेन अभिजीत (2013) :– नगदी बनाम सामग्री (योजना फरवरी 2013 पेज 16–18)

10 डॉ कोचर नवीन व झारिया मणिकांत (2012) :– भविष्य के लिए अत्यन्त आवश्यक खाद्य सुरक्षा (कुरूक्षेत्र मार्च 2012 पेज 23–28)

11. लेखराज (2000) :– दुर्ग जिले में कृषि एवं पोषण : एक भगौलिक अध्ययन (पेज 152)

12. प्रो. मोदी के.एम (2012) :– खाद्य सुरक्षा : चुनौतिया और समाधान (कुरूक्षेत्र मार्च 2012 पेज 13–17)

13. नायर के. थलासीधरण (2008) :– टारगेटेड पब्लिक डिट्रीब्युशन इन फूड गैन्स स्टैन्ड ऑफ युटिलाजेशन बाई द ट्राईबल पापुलेशन इन केरला

14. पारिख के. एस. व व्यास वी.एस (1994) :– हू गैट्स हाउ मच फ्राम पीडीएस हाउ इफैटिवली डस इट रीच टू पूवर ? ;सेवकसना जनवरी मार्चद्ध

15. पाणि नरेन्द्र (2013) :– खाद्य हेतु नगर सब्सिडी संरचना की भ्रांतियां (योजना फरवरी 2013 पेज 19–21)

16. डॉ. रावत गजेन्द्र (2012):– खाद्य सुरक्षा एवं सरकारी प्रयास (कुरूक्षेत्र मार्च 201 पेज 18–22)

17. रावत यशंवत (2012) :– खाद्यान्न सुरक्षा के लिए जैविक खेती जरूरी (कुरूक्षेत्र मार्च 2012 पेज 29–34)

18. स्टैडिंग गार्ड (2013) :– नगद सुधार की राजनीति (योजना फरवरी 2013 पेज 16–18)

19. डॉ. सावंत अनिता (2013):– भोजन की बर्बादी से पहले सोचे (नवभारत,रविवार अवकाश 2 जून 2013 पेज 1–4)

20. शर्मा रंजना (2000) :– बिलासपुर जिले में कृषि एवं पोषण

21. प्रो. सेन अमर्त्य (1995) :– द पालिटिकल इकोनामी ऑफ टारगेटिंग इन वेन डी वाल नीड (ईडीएस) पेज 11–24

22. यादव साधन (2012) :– खाद्य सुरक्षा बिल से खत्म होगो कुपोषण (कुरूक्षेत्र मार्च 2012 पेज 3–7)

23. श्रीदेवी जी. (2011) :– सम इकोनामिक इफैक्ट ऑफ द न्यू इकोनामिक पालिसी आन इंडियन फूड सेक्यूरटी (पेज 134–136)

24. सूर्यनारायण एम. एच. (1995) :– खाद्य सुरक्षा के साथ कुछ प्रयोग (ई. पी. डब्लू. 30 दिसम्बर)

25. व्यास विजय शंकर (2013) :– तालमेल से ही दूर होगी भूख (पत्रिका समाचार पत्र दिनांक 26 / 07 / 2013 पेज 10)

शोध निर्देशक	सहनिर्देशक	शोध छात्र
डॉ. आनंद कुमार विश्वकर्मा	डॉ. रविन्द्र ब्रम्हे	मोतीलाल सिन्हा
प्राध्यापक अर्थशास्त्र	प्राध्यापक अर्थशास्त्र	अर्थशास्त्र अध्ययन शाला
पं. देवी प्रसाद चौबे शा.महा.	अर्थशास्त्र अध्ययन शाला	पं. रविवि. रायपुर छ.ग.
साजा जिला – बेमेतरा (छ.ग.)	पं. रविवि. रायपुर (छ.ग.)	

Dr. A. K. Vishwakarma
Professor of Economics
Govt. College SAJA, Distt. Bemetara (C.G.)

अग्रेषित

अध्यक्ष

Professor & Head
School of Studies in Economics
Pt. R.S.S. University, Raipur (C.G.)

शोध केन्द्र
अर्थशास्त्र अध्ययन शाला
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय
रायपुर (छ.ग.)